

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प 7(103) परि/नियम/मु./2006/पार्ट-i 17904

जयपुर, दिनांक: 13/4/18

कार्यालय आदेश.....10...../2018

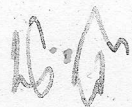
विभाग द्वारा राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 4.1 के उप-नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत व्यापार प्रमाण पत्र (Trade Certificate) धारी डीलर को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 41 के तहत पंजीयन करने हेतु पंजीयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य में कार्यरत ऐसे समस्त ट्रेड सर्टिफिकेट धारी डीलर जिनके द्वारा नये गैर-परिवहन यान के विक्रय (जिसमें दुपहिया वाहन, 10 सीट तक के चारपहिया गैर-परिवहन यान, ट्रैक्टर, क्रेन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेन्ट व्हीकल इत्यादि सम्मिलित हैं) को कार्यालय आदेश क्रमांक 34/2004 (समय-समय पर यथा संशोधित) में वर्णित निबन्धनों, शर्तों और अर्हताओं (terms, conditions and qualifications) की पालना करने की शर्त पर पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है।

ऐसे उपरोक्त अधिकृत डीलर/सब-डीलर जिनके द्वारा पंजीयन अधिकारी के रूप में पेब आधारित वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर पर वाहन का पंजीयन कार्य किया जा रहा है, के संबंध में निम्नानुसार आदेश प्रदान किये जाते हैं:-

1. अधिकृत डीलर/सबडीलर को द्वारा वाहन पंजीयन हेतु संलग्न Annexure 'A' में वर्णित आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर आवश्यक रूप से वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जायेगा।
2. सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के उपरान्त ही पंजीयन संबंधी कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।
3. अधिकृत डीलर/सबडीलर द्वारा पंजीयन संबंधी मूल दस्तावेज अपलोड करने एवं वाहन पंजीयन पश्चात् पूर्व जारी दिशा-निर्देशानुसार समस्त रिकार्ड संबंधित जिला परिवहन अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा आदेश की पालना कराया जाना सुनिश्चित की जायेगी।

संलग्न:- Annexure 'A'


(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक : प 7(103) परि/नियम/मु./2006/पार्ट-i /7905-7910 जयपुर, दिनांक: 12/4/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

सहायक परिवहन आयुक्त (नियम)

Annexure 'A'

LIST OF DOCUMENT TO BE SUBMITTED/UPLOADED AT THE TIME OF VEHICLE REGISTRATION ON VAHAN 4.0

Mandatory/Optional	Sr.No.	Docouments	Sub Category
Mandatory	1	Form No. 20	
Mandatory	2	Invoice original	
Mandatory	3	Form No. 21	
Mandatory	4	Form No. 22	
Mandatory	5	Insurance	
Mandatory (any two)	6,7	Proof of Address- First (Attested Copy)	(i) Voter ID/ Electroll roll
			(ii) Insurance Policy
			(iii) Registration /lease/Patta of House
			(iv) Passport
			(v) Payslip
			(vi) Tel. Bill/Electric Bill/PHED Bill
			(vii) Aadhar Card
			(viii) Bhamashah Card
			(ix) Rental agreement with any one document of able land lord
Optional	8	Form No. 35 in case of hire purchase	
Optional	9	Fitness Application in case of Transport Vehicle	
Mandatory	10	Affidavit for Parking	
Mandatory		Pan No.	
			(i) Pan card
	11		(ii) Form No. 60/61
Optional (For Tr. Vehicles)	12	Form No. 22A, 22A(II)	
Optional (For Tr. Vehicles)	13	Speed Governor	